



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808]  
No. 808]नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2005/श्रावण 10, 1927  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2005/SRAVANA 10, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2005

का.आ. 1085(अ).—एकीकृत भवन उप नियमों की धारा 23.16 के प्रावधानों के अन्तर्गत विरासत संरक्षण समिति गठित करने के संबंध में क्रमशः दिनांक 7-8-2004 और 7-1-2005 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 6-8-2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 904(अ) और दिनांक 6-1-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 31(अ) के अनुक्रम में, सरकार एतद्वारा विरासत संरक्षण समिति के निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित करती है, जो दिनांक 15-2-2005 तथा 3-5-2005 को हुई इसकी क्रमशः चौथी तथा पांचवी बैठकों में सहयोजित किए गए हैं।

1. प्रो. के. टी. रविन्द्रन  
अर्बन डिजाइनर
2. सुश्री गुरमीत एस. राय  
निदेशक, कल्चरल रिसोर्स कंजरवेशन इनीशिएटिव
3. श्री ओ. पी. जैन  
संयोजक, दिल्ली चैप्टर, "इन्टेक"

[सं. के.-12016/6/2003-डीडी-1बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2005

S.O. 1085(E).—In continuation of this Ministry's Notification No. S. O. 904(E), dated 6-8-2004 and S. O. 31(E) dated 6-1-2005, published in the Gazette of India, Extraordinary dated 7-8-2004 and 7-1-2005 respectively regarding constitution of the Heritage Conservation Committee under the provisions of Clause 23.16 of the Unified Building Bye-laws, the Government hereby notifies the appointment of following additional members of the Heritage Conservation Committee, as co-opted by it in its 4th and 7th meetings held on 15-2-2005 and 3-5-2005 respectively.

1. Prof. K. T. Ravindran,  
Urban Designer.
2. Ms. Gurmeet S. Rai,  
Director, Cultural Resource Conservation  
Initiative.
3. Shri O. P. Jain,  
Convener, Delhi Chapter, INTACH

[No. K- 12016/6/2003-DD-IB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.